

कैम्प लिटरिया / 2022 / 5  
 राजस्थान सरकार  
 पीठासीन अधिकारी एवं पट्टेन सहायक कलक्टर  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प  
 क्र. नं. 104/22 आदेश लिटरिया

दिनांक 08/06/22  
 पत्र-8

प्राची के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी काव्यपट्टपुरा  
 नायब तहसीलदार काव्यपट्टपुरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार काव्यपट्टपुरा  
 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम पाचूडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान यू-राजस्व अधिनियम  
 जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 25, 26, 53  
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है )
1.	पाचूडा	25, 26, 53	रामधन S/O रामलाल	रोहित S/O रामलाल

086  
 पीठासीन अधिकारी  
 शिवीक अद्वैतारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चाकरपुरा (जयपुर)

क्रमांक :- P/105 कैम्प लिटरिया / 2022 / 4-5

दिनांक :- 08/06/22

प्रतिस्विपि :-

1. तहसीलदार काव्यपट्टपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राची श्री रोहित S/O रामलाल को सूचनाई।
3. रक्षित पत्रावली

086  
 पीठासीन अधिकारी  
 शिवीक अद्वैतारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चाकरपुरा (जयपुर)